न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 140/2019

अनवान :

1. भरतसिंह पुत्र हरदयाल जाट निवासी डूंगरसिंहपुरा तहसील भादरा।
2. हवासिंह पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी डूंगरसिंहपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम

1. हरदयाल पुत्र देबुराम जाति जाट निवासी डूंगरसिंहपुरा तहसील भादरा।
2. मोहरसिंह पुत्र हरदयाल जाट निवासी डूंगरसिंहपुरा तहसील भादरा।
3. जयसिंह पुत्र हरदयाल जाट निवासी डूंगरसिंहपुरा तहसील भादरा।
4. भूपसिंह पुत्र हरदयाल जाट निवासी डूंगरसिंहपुरा तहसील भादरा।
5. कमला पुत्री हरदयाल जाट निवासी डूंगरसिंहपुरा तहसील भादरा।
6. ओमवति पुत्री हरदयाल जाट निवासी डूंगरसिंहपुरा तहसील भादरा।
7. चन्द्रावली पुत्री हरदयाल जाट निवासी डूंगरसिंहपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955
उपस्थिति : वकील श्री विक्रम शर्मा **: वादी**
वकील श्री मुंशीराम गोस्वामी **: प्रतिवादी सं0 1 ता 7**

निर्णय **दिनांक :** 20-01-2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा डूंगरसिंहपुरा के वर्तमान खाता सं0 96/76 के खसरा नं0 1/1 की 4.274 है0 खसरा सं0 179 की 4.477 है0 कुल किता 2 की 8.751 है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी हरदयाल वल्द देबुराम के नाम से खातेदारी दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 हिन्दू है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम से शासित होते है। वादभूमि पहले वादीगण के दादा देबुराम की खातेदारी हुआ करती थी। वादीगण के दादा देबुराम के देहान्त होने पर उक्त वादभूमि प्रतिवादी हरदयाल के नाम कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन दर्ज हुई है। वादभूमि वादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है।

वादभूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 को विरासतन में बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हुई थी। वाद भूमि के संबंध में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 का पारिवारिक सैटलमेन्ट हो गया था जिसमें प्रतिवादी सं0 1 हरदयाल व प्रतिवादीगण सं0 5 ता 7 कमला, ओमवति एवं चन्द्रावली ने अपना हक हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 2 ता 4 के पक्ष में छोड़ कर तर्क कर दिया तथा अपना हक हिस्सा शुन्य कर लिया जिस पर उक्त कुल वादभूमि जो प्रतिवादी हरदयाल के नाम से दर्ज है वह वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 2 ता 4 को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हो गई थी। इसी अनुसार वादभूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 2 ता 4 की कब्जा काश्त चली आ रही है परन्तु रिकार्ड माल में आज भी कुल वादभूमि तन्हा प्रतिवादी हरदयाल के नाम से दर्ज चली आ रही है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादीगण में भरतसिंह पीडब्ल्यु 1 के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम डूंगरसिंहपुरा खाता सं0 96/76 सम्वत् 2070 से 73 प्रदर्श 1, फोटो प्रति प्रमाणित खतौनी जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग ग्राम डूंगरसिंहपुरा सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाये व वारिस प्रमाण पत्र पेश किया।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों की दौहराते हुए मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत वाद वादीगण ने ग्राम डूंगरसिंहपुरा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादीगण ने अपने दावा में अंकित किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 हिन्दू है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम से शासित होते है। वादभूमि पहले वादीगण के दादा देबुराम की खातेदारी हुआ करती थी। वादीगण के दादा देबुराम के देहान्त होने पर वादभूमि प्रतिवादी हरदयाल के नाम कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन दर्ज हुई है जिसकी पुष्टि में वादीगण ने फोटो प्रति प्रमाणित खतौनी जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग ग्राम डूंगरसिंहपुरा सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाई है जिसमें वाद भूमि वादीगण के दादा देबुराम वल्द धोकलराम के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र में हरदयाल के वारिसान में चार पुत्र मोहरसिंह, जयसिंह, भूपसिंह, हवासिंह, भरतसिंह व तीन पुत्रियां ओमपति, चन्द्रपति, कमला मौजूद होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वादीगण अपना वाद साबित करने में सफल रहे है तथा वाद वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा डूंगरसिंहपुरा के वर्तमान खाता सं0 96/76 के खसरा नं0 1/1 की 4.274 है0 खसरा सं0 179 की 4.477 है0 कुल किता 2 की 8.751 है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी हरदयाल वल्द देबुराम के नाम से खातेदारी दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 हरदयाल का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 2 ता 4 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं0 1, 5 ता 7 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादीगण 2 ता 4 के पक्ष में त्याग दिया है। इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 2 ता 4 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20-01-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा
(मुकेश बारेठ)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 140/2019

अनवान :

1. भरतसिंह पुत्र हरदयाल जाट निवासी डूंगरसिंहपुरा तहसील भादरा।
2. हवासिंह पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी डूंगरसिंहपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम

1. हरदयाल पुत्र देबुराम जाति जाट निवासी डूंगरसिंहपुरा तहसील भादरा।
2. मोहरसिंह पुत्र हरदयाल जाट निवासी डूंगरसिंहपुरा तहसील भादरा।
3. जयसिंह पुत्र हरदयाल जाट निवासी डूंगरसिंहपुरा तहसील भादरा।
4. भूपसिंह पुत्र हरदयाल जाट निवासी डूंगरसिंहपुरा तहसील भादरा।
5. कमला पुत्री हरदयाल जाट निवासी डूंगरसिंहपुरा तहसील भादरा।
6. ओमवति पुत्री हरदयाल जाट निवासी डूंगरसिंहपुरा तहसील भादरा।
7. चन्द्रावली पुत्री हरदयाल जाट निवासी डूंगरसिंहपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री विक्रम शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 श्री मुंशीराम गोस्वामी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा डूंगरसिंहपुरा के वर्तमान खाता सं0 96/76 के खसरा नं0 1/1 की 4.274 है0 खसरा सं0 179 की 4.477 है0 कुल किता 2 की 8.751 है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी हरदयाल वल्द देबुराम के नाम से खातेदारी दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 हरदयाल का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 2 ता 4 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं0 1, 5 ता 7 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादीगण 2 ता 4 के पक्ष में त्याग दिया है। इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 2 ता 4 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा
(मुकेश बारैठ)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2020.02.19 16:26:46 IST
Reason: SelfAttested
Location: